<u>प्रेस नोट</u>

<u>सभी प्रकार के वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र लेना जरूरी</u>

दीव :- दीव की आमजनता एवं वाहन मालिक/चालकों को सूचित किया जाता है कि सामान्य मोटर वाहन नियमावली,1989 के तहत यह निर्धारित किया गया है कि सभी वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र होना जरूरी है। वाहन रजिस्ट्रेशन की तारीख से एक साल पूरा होने के तुरंत बाद सभी वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है। यह प्रमाणपत्र राज्य सरकार या संघ प्रदेश प्रशासन द्वारा प्राधिकृत एजेंसी द्वारा जारी होनी चाहिए। एजेंसीज द्वारा जारी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र 06 महीने तक वैध होगी । यह प्रमाणपत्र सभी वाहन मालिक/ चालक द्वारा वाहन चलाते समय साथ में रखा जाना चाहिए।

इसको ध्यान में रखते हुए उक्त नियम के तहत दीव जिला के सभी मोटरवाहन मालिक/ चालक जिनके पास पेट्रोल या डीजल से चलनेवाली कोई भी ट्रांसपोर्ट या गैर ट्रांसपोर्ट मोटर वाहन है, वे 30 दिनों के अंदर वाहन का प्रदूषण संबंधी जॉच कराकर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र प्राप्त कर लें। ऐसा नहीं करने पर नियम के तहत जुर्माना /पेनाल्टी लगाया जायेगा।

ज्ञातव्य हो कि परिवहन विभाग, दीव ने मेसर्स सांई इंटरप्राइजेज, दीव द्वारा सिकंदर नुरूला थयानी, लोक निर्माण विभाग, दीव के पास को इसके लिए प्राधिकृत किया गया है।